[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2015

अधिसूचना

का.आ.1791(अ).— केन्द्रीय सरकार, काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) की धारा 59 और धारा 63 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 59 के उपबंधों के अधीन--

(i) 30 सितंबर, 2015 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको या जिसके पूर्व कोई व्यक्ति भारत के बाहर अवस्थित किसी अप्रकटित आस्ति के संबंध में कोई घोषणा कर सकेगा; और

(ii) 31 दिसंबर, 2015 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको या जिसके पूर्व कोई व्यक्ति भारत के बाहर अवस्थित ऐसी अप्रकटित आस्ति के संबंध में, जो इस प्रकार घोषित की गई है, कर और शास्ति का संदाय करेगा ।

[अधिसूचना सं.57/2015 फा.सं. 133/33/2015-टीपीएल]

(अमित कटोच)
अवर सचिव, भारत सरकार